संख्या-193/2022/300रासनि/23-1-22/003-17आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 11 अगस्त, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 29 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-422/CE-HQ-1/RSN 5054/AGR/2022-23, दिनांक 22.07.2022, पत्र सं0-469/CE-HQ-1/RSN 5054/AGR/2022-23, दिनांक 23.07.2022, पत्र सं0-650/CE-HQ-1/RSN 5054/AGR/2022-23, दिनांक 26.07.2022, पत्र सं0-700/CE-HQ-1/RSN 5054/AGR/2022-23, दिनांक 28.07.2022 एवं पत्र सं0-747/CE-HQ-1/RSN 5054/AGR/2022-23, दिनांक 29.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 29 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 10,41,20,000/- (रूपये दस करोड़ इकतालीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नि.ख.-1 मथुरा	गढ़सौली से जोरबल होते हुए नगला बली मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	55.30	42.84	6.92	12.46	35.92	35.91
2	नि.ख.-1 मथुरा	मगना से बुर्ज सुखदेव वाया सहीराम गढ़ी लिंक मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	51.08	38.57	18.52	12.51	20.05	20.05
3	नि.ख.-1 मथुरा	लोका से पचावर मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	70.7	53.2	8.84	17.5	44.37	44.36
4	नि.ख.-1 मथुरा	जुगसना रजवाहन से बल्टीकरी सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	46.21	35.11	26.42	11.10	8.69	8.69
5	नि.ख.-1 मथुरा	कलकत्ता वाली धर्मशाला से हयातपुर मार्ग से नगला महराज मार्ग का नवनिर्माण	112 /2021/523 रासनि/23-1-21-41 रासनि/20	16.36	12.95	9.00	3.41	3.95	3.95
6	नि.ख.-1 मथुरा	बलरामपुर सम्पर्क मार्ग से नगला पीपरी मिसिंग लिंक का कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	69.47	56.56	19.10	12.91	37.46	37.46
7	नि.ख.-1 मथुरा	बृहमाण्डघाट मार्ग से ठाकुर जी राधिका रमण महाराज विराजमान मन्दिर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	157/2021/231 रासनि/23-1-21-46 रासनि/20 टीसी	73.47	73.47	21.23	0.00	52.24	52.24

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	नि.ख.-1 मथुरा	नानकापुर से फरदीमपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	366/2021/1221 रासनि/23-1-21-14 रासनि/21 टीसी	37.89	32.21	3.78	5.68	28.43	28.43
9	नि.ख. फिरोजाबाद	सुजायतपुर मार्ग से सिरसैल छूटी कड़ी तक मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	112 /2021/523 रासनि/23-1-21-41 रासनि/20	21.31	18.23	12.92	3.08	5.31	5.31
10	नि.ख. फिरोजाबाद	ऊपरी गगंनहर पटरी मार्ग से नगला भारा तक मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	58.45	48.07	20.38	10.38	27.69	27.69
11	नि.ख.-1 मथुरा	नगला पीता मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण कार्य	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20	12.76	11.56	7.52	1.20	4.04	4.03
12	नि.ख. फिरोजाबाद	आसफाबाद तिराहे से बच्चू बाबा आश्रम बाईपास मार्ग के दोनो ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य।	206/2021/795 रासनि/23-1-21-119 रासनि/21	405.24	392.74	156.31	12.50	236.43	200.00
13	प्रा.ख. मैनपुरी	छूटी कड़ियो के अन्तर्गत जगतपुर से नगला शिवार, देवगंज होते हुये भवीचन्द्रपुर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	116/2021/637 रासनि/23-1-21-117 रासनि/20	170.08	122.91	85.94	47.17	36.97	36.97
14	प्रा.ख. मैनपुरी	छूटी कड़ियो के अन्तर्गत दुधौना से निबरी मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	116/2021/637 रासनि/23-1-21-117 रासनि/20	98.18	67.83	28.45	30.35	39.38	39.38
15	प्रा.ख. मैनपुरी	छूटी कड़ियो के अन्तर्गत गढ़िया गोविन्दपुर मार्ग से कमलपुर से छतुरीबरी मार्ग कानवनिर्माण कार्य।	116/2021/637 रासनि/23-1-21-117 रासनि/20	82.39	56.59	23.56	25.8	33.03	33.03
16	प्रा.ख. मैनपुरी	राज्य राजमार्ग-141 के किमी 58 से अहिरवा मार्ग से भसुआहार सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण एवं अनुरक्षण कार्य।	116/2021/637 रासनि/23-1-21-117 रासनि/20	117.67	88.24	23.53	29.43	64.71	55.00
17	नि.ख.-1 मथुरा	अभयपुरा मादौर मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	63.8	51.64	7.98	12.16	43.66	43.65
18	नि.ख.-1 मथुरा	हबीबपुर से नगला पीपरी मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20	38.52	38.52	21.19	0.00	17.33	17.32
19	नि.ख.-1 मथुरा	जनपद मथुरा में राया नीमगॉव से मुसरिया मार्ग की मिसिंग लिंक का नवनिर्माण का कार्य। (ग्रा.मा.)	278/2021/1176 रासनि/23-1-21-102 रासनि/20	53.98	42.75	5.39	11.23	37.36	37.36
20	नि.ख.-1 मथुरा	जनपद मथुरा में राया नीमगॉव मार्ग से प्राथमिक विद्यालय नगला भाभा तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। (ग्रा.मा.)	278/2021/1176 रासनि/23-1-21-102 रासनि/20	48.75	39.1	4.87	9.65	34.23	34.23
21	प्रा.ख. मथुरा	जनपद मथुरा में ग्राम उझानी से रामपुर की छूटी कड़ी का नवनिर्माण कार्य।	112 /2021/523 रासनि/23-1-21-41 रासनि/20	127.74	126.64	102.19	1.10	24.45	24.45
22	प्रा.ख. मथुरा	ग्राम मुडेसी से समसपुर मार्ग (छूटी कड़ी)	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	211.65	180.48	144.32	31.17	36.16	36.16
23	प्रा.ख. आगरा	नगला ब्राहमण से गोपऊ माइनर (धर्मशाला) तक मार्ग का नव	84/2021/136रासनि/23-1-21-81रासनि/2020	35.98	29.2	28.78	6.78	0.42	0.42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		निर्माण कार्य।							
24	प्रा.ख. आगरा	एन0एच0-11 से गोपऊ रजवाहा पटरी मार्ग पर नगला अजीता तक मार्ग की छूटी कड़ी के नव निर्माण कार्य।	84/2021/136रासनि/23-1-21-81रासनि/2020	28.99	24.04	20.29	4.95	3.75	3.75
25	प्रा.ख. आगरा	जैगारा से मसैला सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0	118.01	93.31	11.8	24.70	81.51	81.00
26	नि.ख. मैनपुरी	हलपुरा समौनी मार्ग से मुकुन्दपुर से नगला बनी मार्ग का अवशेष भाग(छूटी कड़ी) का नवनिर्माण का कार्य	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0	36.72	35.72	3.67	1.00	32.05	29.30
27	नि.ख.-1 मथुरा	मेजर ध्यानचन्द विजयपथ योजनान्तर्गत राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सुश्री कृष्णा पोद्दारके घर तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	57/2021/257 रासनि/23-1-21-96 रासनि/20	15.64	15.64	15.4	0.00	0.24	0.24
28	प्रा.ख. मथुरा	ग्राम अड़की से तारसी मार्ग(छूटी कड़ी)	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20	145.78	124.5	98.11	21.28	26.39	26.39
29	प्रा.ख. मथुरा	अटल्ला चुंगी से विद्यापीठ चौराहा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	208/2021/894 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टी0सी0 3	141.67	134.84	60.41	6.83	74.43	74.43
								कुल योग-	1041.20

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 10,41,20,000/- (रूपये दस करोड़ इकतालीस लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-193/2022/300रासनि(1)/23-1-22/003-17आरएसएन/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।